राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 775/2015/जोधपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, आबूरोड, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स भाटी एण्ड कम्पनी,
बासनी, जोधुपर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री महावीर चन्द्र जैन, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 10/10/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जोणपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 18/आरवेट/जेयूसी/2014–15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़, सिरोही (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.05.2014 को वाहन संख्या आरजे–19–जीए–2155 को रोक कर चैक करने पर उक्त वाहन में लदा माल लकड़ी के पुराने स्लीपर अहमदाबाद से जोधपुर परिवहनित होना पाया गया। जांच अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर माल प्रभारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये उक्त दस्तावेजों की जांच पर माल के साथ निर्गम नोट, वाउचर संख्या वेट 15 प्रतिशत से वूसल किया जाना अंकित था। परिवहनित माल के साथ वैट 47 संलग्न नहीं होने से एवं परिवहनित माल को अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत् शास्ति का आरोपण किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर आदेश दिनांक 19.05.2014 से आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.10.2014 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।

लगातार.....2

3. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्र वेट–47 माल के साथ नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के जवाब के साथ बाद में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र वेट–47 को स्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा कथन किया गया कि वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वक्त जांच माल से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मय वैट 47 सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं गुजरात राज्य के रेलवे विभाग से पूर्ण वैट 15 प्रतिशत चुकाकर दस्तावेजों के अनुसार ही माल का परिवहन किया जा रहा था। उन्होनें यह भी तर्क दिया कि प्रकरण में वेस्टर्न रेलवे विभाग में निलामी किये गये "*Scrap wooden sleeper and its pieces in dilapidated condition with or without minor ferrous attachment old used and U.S. here, meaning of the alphabates U.S. in unserviceable.*" होने से वैट 47 की अनिवार्यता से इंकार कर अलग से उपरोक्त घोषणा प्रपत्र पेश कर मामले का निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया। विवादित प्रकरण में परिवहनित माल 53(A)(i) & 53(A)(iii) के अन्तर्गत अधिसूचित माल की श्रेणी नहीं आता है। प्रत्यर्थी कम्पनी द्वारा वैट–47 नोटिस की पालना में प्रस्तुत कर दिया था, जिसमें उनकी कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल रेलवे का Unserviceable Scrap wooden sleeper है, जिसमें लोह धातु भी पाया गया है परिवहनित माल रेलवे के लिये अनपयुक्त स्लिपर है, परन्तु माल का टिम्बर होने से मना नहीं किया जा सकता। माल के दस्तावेजों के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–47 नहीं पाया गया। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब के साथ घोषणा प्रपत्र वेट–47 प्रस्तुत कर दिया गया एवं वक्त जांच प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण भी बता दिया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जांच से इस दस्तावेज को

लगातार.....3

असत्य/बोगस भी प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानकर धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु पारित किया गया आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मैटल्स [(2001) 124 एस.टी.सी. 611]** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं है।

6. उक्त विवेचन के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किया जाना अविधिक एवं अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य